संख्या–एस0ई0–2314./दस–2008–बीमा–19/2002

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांक 08 दिसम्बर, 2008**

विषयः– **वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एंव बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एंव आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिको के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियो को कतिपय संशोधनो के साथ शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313/दस–2008–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एंव बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एंव आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एंव बचत निधि की पुनरीक्षित दरो को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

कमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	रू0 5401 से अधिक	400	120	280	4,00,000
2	रू0 2801 से रू0 5400 तक	200	60	140	2,00,000
3	रू0 2800 तक	100	30	70	1,00,000

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानो की संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एंव बीमा

2/——

आच्छादन को निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धो के आधीन लागू किया जायेगाः–

(क) उक्त आदेश दिनांक 01–12–2008 से प्रभावी माने जायेगें।

(ख) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नही किया जायेगा।

(ग) वेतनमानो की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गो के वर्गीकरण से कोई सम्बन्ध नही है।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एंव बचत योजना के संबंध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–एस0ई0–2314(1)/दस–2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री राज्यपाल, सचिवालय।
2– विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4– निदेशक कोषागार व लेखा उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, विकासदीप 22 स्टेशन रोड, लखनऊ।
6– पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7– प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/इरला चेक/भुगतान व लेखाधिकारी, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(भगवान दास)
उप सचिव।